(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 59 **नई दिल्ली**, 13 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोचीन पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी दिनांक 25 जनवरी, 2007 द्वारा अनुमोदित किया गया था। दरमान (एसओआर) के साथ आदेश जी.सं. 38 दिनांक 9 फरवरी, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित की गई थी।

2.1. संशोधित प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 3.1.2 महापत्तनों न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों से अपेक्षा करता है कि अपने मौजूदा प्रशुल्क के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव संशोधन के लिए देय होने के कम से कम 3 महीने पहले दाखिल करें। अनुस्मारकों के पश्चात, सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 11 मार्च 2009 द्वारा अपने दरमान के संशोधन के लिए यह कहते हुए प्रस्ताव दाखिल किया है कि उसे इस प्राधिकरण के समक्ष प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

2.2. सीओपीटी ने मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

3. सीओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रही है। अपने दरमान के संशोधन के लिए सीओपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचार करने में कुछ और समय लगेगा। अतः सीओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2009 के बाद के लिए विस्तारित करना आवश्यक हो गया है।

4. यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान की वैधता को 31 जुलाई, 2009 तक अथवा अधिसूचित (किए जाने वाले) संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. यदि 1 अप्रैल, 2009 के बाद की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से ज्यादा अतिरिक्त अधिशेष प्रकट होता है तो इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य